

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-310/17 (आरसीएमएस नं. 2016/00209)

1. गोपाल पुत्र रामकरण जाति जाट, निवासी बडवाली ढाणी, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

ओमशिव प्रजापति टिम्बर्स पता मुहाना मोड़ डिग्गी रोड़ गुर्जरों की तलाई सांगानेर जरिये प्रोपराईटर:-

1. रामदेव पुत्र स्व. श्री रंगलाल,
2. आशुतोष पुत्र स्व. श्री रंगलाल,
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री रंगलाल, समस्त जाति प्रजापति निवासी कुम्हारों का मौहल्ला, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. सरपंच ग्राम पंचायत वाटिका, पंचायत समिति, सांगानेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 30.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक 13.06.2016 (प्रकरण संख्या 11/15) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत वाटिका के ग्राम वाटिका के नामान्तरकरण संख्या 1959 दिनांक 05.05.2015 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसके अन्तर्गत दिनांक 23.03.2016 को तहसीलदार सांगानेर से रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश देते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.04.2016 तारीख पेशी मुकरर की गई तथा दिनांक 26.04.16 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण दिनांक 24.05.2016 तारीख पेशी मुकरर की गई, तत्पश्चात् पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28.06.2016 तारीख पेशी मुकरर की गई तथा दिनांक 13.06.2016 को पत्रावली राजस्व कैम्प वाटिका में पेश हुई लेकिन पत्रावली के रिकार्ड से जाहिर नहीं होता है कि पक्षकारान को कौनसी दिनांक को नोटिस जारी किया गया और अपीलार्थी को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.06.2016 को ही अपने मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व यह भी अनदेखी करते हुये अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात बाबत न तो कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ना ही आराजीयात पर रेस्पोंडेन्टान का कब्जा है, धोखे व फर्जी तौर पर किया गया विक्रय पत्र के विरुद्ध अपीलार्थी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 19 महानगर सांगानेर के समक्ष दावा बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा एवं निरस्त किये जाने विक्रय पत्र का प्रस्तुत कर रखा है जिसके अन्तर्गत प्रतिवादीगण हाल रेस्पोंडेन्टान के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा भी दिनांक 29.10.2015 को जारी कर रखी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)

बिन्दुओं व वास्तविक तथ्यों को ताक पर रखकर स्वयं भू बनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अर्थात् ग्राम पंचायत वाटिका को इस प्रकार के नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत वाटिका ने अपने क्षेत्राधिकारों का अनाधिकृत प्रयोग करते हुये जो निर्णय सादिर किया है वह निर्णय न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपील संख्या 11/2015 पर पारित निर्णय दिनांक 13.06.2016 एवं सरपंच ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1059 पर पारित निर्णय दिनांक 05.05.2015 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील का नियमानुसार निस्तारण किया गया है ऐसी स्थिति में विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल निर्णय पारित करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, लिहाजा अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली में तारीख पेशी देने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत के आदेश जारी किये जाने से लोक अदालत के नोटिस नियमानुसार अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट को जारी किये गये जिसकी तामिल भी अपीलान्त पर की गई। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को बिना सुने अपील का निस्तारण करने का कथन गलत व असत्य है, अपीलान्त द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय की गई भूमि को अपील के माध्यम से चुनौती देने चाहता है जिसके लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है क्योंकि बिना दस्तावेज के सक्षम न्यायालय से निरस्त हुये बिना अपीलान्त वादकारण उत्पन्न नहीं होता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष अंकित किया व पूर्ण विधिपूर्ण है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि अपीलान्त द्वारा विधिपूर्ण दिनांक 07.08.2009 को विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर तीन अलग-अलग सम्पत्तियों को विक्रय पत्र के जरिये पृथक-पृथक पंजीकृत विक्रय पत्र मिन रेस्पोंडेन्ट्स के पिता स्व. रंगलाल पुत्र सूवा लाल प्रजापति के पक्ष में कर भूमि का कब्जा प्रदान कर दिया तथा विक्रय प्रतिफल राशि चैक्स एवं नगद द्वारा प्राप्त की है, ऐसी स्थिति में धोखे से विक्रय पत्र निष्पादित करने को कोई प्रश्न ही नहीं है। अपीलान्त ने असत्य आधारों पर सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है, सिविल न्यायालय में वाद संस्थित किये जाने मात्र से अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज एवं रिकार्ड अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया है ऐसी स्थिति में न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल कार्यवाही का अपीलान्त का कथन पूर्णतया असत्य है, अपीलान्त द्वारा जरिये

P.T.O.

नामाधीन आयुक्ता
जयपुर

(3)

पंजीकृत विक्रय पत्र सम्पत्ति का विक्रय रेस्पोजेन्ट के पिता के पक्ष में कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा प्रतिफल राशि प्राप्त करली तो अपीलान्ट को लिखा पढी करने का आश्वासन देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, अपीलान्ट को दिनांक 07.08.2009 को विक्रय पत्र निष्पादित करने की पूर्ण जानकारी रही है, अपीलान्ट द्वारा स्वयं दिनांक 17.08.2009 को विक्रय पत्र का शुद्धिपत्र रेस्पोजेन्ट के पिता रंगलाल के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है, मिन रेस्पोजेन्ट के पिता द्वारा क्रय की गई उक्त भूमि को इकजाई करते हुऐ उस पर पुख्ता चारदीवारी निर्मित करली तथा उसमें आरा मशीन लगाकर लकड़ी को कारोबार करते रहे है, ऐसी स्थिति में दिनांक 06.09.2015 को रेस्पोजेन्ट द्वारा नापजोख करने एवं कब्जा करने की धमकी देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय प्रकरण की पत्रावली एवं सुस्थापित विधिनुसार पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान करने पर बेचान पत्र के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा दिनांक 05.05.2015 को नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में दिनांक 24.05.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.06.16 मुकरर की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 13.06.16 को ही कर दिया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.16 को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.16 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के०सी०वर्मा)

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,

जयपुर।